



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 कार्तिक 1943 (श०)

(सं० पटना 919) पटना, मंगलवार, 16 नवम्बर 2021

सं० 3ए-3-भत्ता-01/2021/7531-वि०

वित्त विभाग

संकल्प

9 नवम्बर 2021

विषय:- दिनांक-01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1/2020-E-II(B), दिनांक-23.04.2020 द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2020, दिनांक-01.07.2020 एवं दिनांक-01.01.2021 से बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान नहीं किये जाने तथा दिनांक-30.06.2021 तक मौजूदा दर अर्थात् 17% की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/1/2020-E-II(B), दिनांक-20.07.2021 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिए समेकित रूप से महंगाई भत्ता/राहत की दर 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, जो दिनांक-01.07.2021 से प्रभावी है। महंगाई भत्ता/राहत की दर में उक्त 11% की वृद्धि में दिनांक-01.01.2020 से 4%, दिनांक-01.07.2020 से 3% एवं दिनांक-01.01.2021 से 4% की वैचारिक वर्धित दर समाहित है। तदालोक में राज्य सरकार के कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है।

3. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में दिनांक-01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता का आकलन करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किया गया है। उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि, किसी सरकारी कर्मी को एकबारगी भुगतये सेवान्त लाभ है, जो उसके अंतिम वेतन और महंगाई भत्ता की वास्तविक दर पर आकलित होता है। इस प्रकार उक्त अवधि में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वैचारिक रूप से वर्धित महंगाई भत्ता की दर का लाभ नहीं मिल सका है। इस बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप

संख्या-1(5)/E-V/2020, दिनांक-07.09.2021 द्वारा जनवरी-2020 से जून 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान दिनांक-01.01.2020 से 21%; दिनांक- 01.07.2020 से 24% एवं दिनांक-01.01.2021 से 28% की दर से वैचारिक रूप से वर्धित महंगाई भत्ता/राहत की दर से आकलित कर किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

4. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में वैसे राज्य कर्मी, जो दिनांक- 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुरूप वैचारिक रूप से वर्धित महंगाई भत्ता की दर से आकलित करते हुए उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में निर्णय लिये जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

5. अतः सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक-01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए राज्यकर्मियों को उपादान एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद राशि की गणना हेतु महंगाई भत्ता की वर्धित दर की स्वीकृति निम्नरूपेण दी जाती है :-

सेवानिवृत्ति की अवधि	परिकलन हेतु महंगाई भत्ता की वैचारिक दर
दिनांक-01.01.2020 से 30.06.2020	मूल वेतन का 21%
दिनांक-01.07.2020 से 31.12.2020	मूल वेतन का 24%
दिनांक-01.01.2021 से 30.06.2021	मूल वेतन का 28%

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 919-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>